फर्द अहकाम

सीताराम वगैरह बनाम रामजीलाल वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या 179/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने आपत्ति कुर्रेजात पर जवाब न देकर मौखिक बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रेजात सहसुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 9/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	9/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पत्रावली में प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात को खारिज किया जाता है तथा वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाद में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है तथा वाद के बंटवारा हेतु निर्णीत किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

फर्द अहकाम

सीताराम वगै० बनाम रामजीलाल वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 179/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड सेक्शन के तरफ बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
179/2018	20/12/2018	09/04/2025

1. सीताराम पुत्र स्व0 लल्लूराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 लल्लूराम
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र लल्लूराम
2. कानाराम पुत्र महादेव
3. जनकू पुत्र महोदव
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ मालियों का मोहल्ला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
4. जयपुर थार ग्रामीण बैक शाखा जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. उप पंजीयक महोदय, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री सत्यपाल गुर्जर :– वकील वादीगण।

श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वदीगण की ओर से एड0 श्री सत्यपाल गुर्जर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 293 के आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 1.1500है0, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.7300है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.9600है0 व खाता सं0 292 के खसरा नम्बर 111 रकबा 0.5600है0 स्थित ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 31.05.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी सं0 1 ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिसे शामिल मिसल किया

उपखण्ड अधिकारी

गया। वकील वादी आपत्ति कुर्रेजात पर जवाब नही देकर सीधी बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रेजात पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन कर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की गई। पत्रावली में प्राप्त कुर्रेजात को स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ता या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
6	बाबूलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/4, जाति माली सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/2 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जमवारामगढ, सीताराम पुत्र लल्लूराम हि0 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार	138 141 143	1.15 0.08 1.73	चाही 2 गै.मु. आबादी चाही 1	–
	योग	किता 3	2.96	–	–
5	कानाराम पुत्र महादेव हि0 1/88 जाति माली सा0देह खातेदार, जनकू पुत्र महादेव हि0 1/88 जाति माली सा0देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/4, जाति माली सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र लल्लूराम हि0 21/44 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 21/44 पूर्ण खाता जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जमवारामगढ, सीताराम पुत्र लल्लूराम हि0 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार	111	0.56	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.56	–	–

–: प्रस्तावित :–

क0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बाबूलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/2, जाति माली सा0देह खातेदार, सीताराम पुत्र लल्लूराम हि0 1/2 जाति माली सा0देह खातेदार	138/2 143/1 143/4 111/1	0.5750 0.5350 0.3300 0.2800	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1	–
	योग	किता 4	1.7200	–	–
2	रामजीलाल पुत्र लल्लूराम हि0 पूर्ण जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जमवारामगढ,	138/1 143/2 143/3	0.5750 0.4200 0.4450	चाही 1 चाही 1 चाही 1	–
	योग	किता 3	1.4400	–	–
3	रामजीलाल पुत्र लल्लूराम हि0 21/22 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 21/22 पूर्ण खाता जयपुर	111/2	0.2800	चाही 1	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

	थार ग्रामीण बैक शाखा जमवारामगढ, कानाराम पुत्र महादेव हि0 1/44 जाति माली सा0 देह खातेदार, जनकू पुत्र महादेव हि0 1/44 जाति माली सा0देह खातेदार।				
	योग	किता 1	0.2800	–	–
4	बाबूलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/4, जाति माली सा0देह खातेदार, रामजीलाल पुत्र लल्लूराम हि0 1/2 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जमवारामगढ, सीताराम पुत्र लल्लूराम हि0 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार	141	0.08	गै.मु. आबादी	–
	योग	किता 1	0.08	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर